...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...शल संख्या :— 364 / 2024 निर्णय दिनांक :—26.09.2024

उ... प्रार्थना पत्र :—

कन्हैयालाल पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. रामनिवास पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. मोहन पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदसिंहपुरा हाल निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. रणजीत पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थीगण—

—उपस्थिति—

श्री अजित सिंह
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय / आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजीयात हाल खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 704 रकबा 0.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है0 वाके तनग्राम चांदसिंहपुरा पटवार हल्का चांदसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी को आवंटित की गई थी। तभी से उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज—काश्त है तथा उपयोग—उपभोग कर रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को खरीदे जाने के बाद काफी पैसा खर्च फसल को सिंचित करने के लिए ट्यूबवैल का निर्माण करवाया है तथा अपने नाम से बिजली का कनेक्शन भी लिया है तथा फसल को रखने, कृषि यंत्र रखने हेतु निर्माण भी करवाया है। प्रार्थी काफी समय तक खाने—कमाने हेतु बाहर निवास करने लग गया था। अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थी के सगे भाई है ने प्रार्थी से उस समय कहा कि हमे कुछ समय तक हमारी फसल व कृषि यंत्र रखने हेतु खेत पर बने कमरे दे दो। प्रार्थी अप्रार्थीगण पर विश्वास करते हुए उनको फसल एवं कृषि यंत्र रखने हेतु दे दिया था। अब प्रार्थी वापस अपने परिवारजन सहित ग्राम चांदसिंहपुरा में निवास करने लग गया तथा प्रार्थी ने वर्तमान में ज्वार व बाजरा की फसल

26.9.2024

Scanned with OKEN Scanner

त कर रखी है, जो मौके पर खड़ी है। परन्तु अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी उत्पन्न हो ई है और वे आये दिन प्रार्थी को उसकी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि से बेदखल करने एवं जबरन कब्जा करने पर आमादा है और प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लग गये है। जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण के द्वारा किये जा रहे उक्त अतिक्रमण/दुष्कृत्य के प्रयास को नही रोका गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लेगें तथा प्रार्थी को अपनी ही भूमि से बेदखल कर वंचित कर देगें। जिससे प्रार्थी को नाकाबिलेतलाफी नुकसान होगा। उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं हैं तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को भूमि से बेदखल नहीं करे, प्रार्थी के द्वारा भूमि में फसल काश्त करने, निराई–गुढ़ाई करने, सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा पाबंद रहे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मंय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात हाल खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 704 रकबा 0.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है. वाके तनग्राम चांदसिंहपुरा पटवार हल्का चांदसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से वादी की वाद वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, यादी को भूमि से बेदखल नहीं करे, वादी के द्वारा भूमि में फसल काश्त करने, निराई–गुढ़ाई करने, सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

अप्रार्थीगण के नाम तलबी जारी की गई।

पत्रावली में अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा इस पत्रावली के वाद में पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष इबारत जिस प्रकार से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 मे वर्णित आराजी भूमि खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 704 रकबा 0.40 है0 खातेदारी मे होना स्वीकार है लेकिन उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 में उक्त भूमि आवंटन होना व खातेदारी मे होना स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नही है। उक्त भूमि को प्रार्थी के पिता स्व0 पोखरलाल ने काफी रूपये पैसे खर्च कर काबिल काश्त बनाया था उसके पश्चात पोखर के चार पुत्र प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 3 के मध्य पारिवारिक बटवारे में उक्त भूमि के बराबर–बराबर 4 हिस्से किये गये जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 3 ने अपने हिस्से में आयी भूमि पर ट्यूबवेल खुदवाकर उस

26.9.2024

तिपक्षी संख्या 3 के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण ने पारिवारिक टवारे में अपने हिस्से में आयी भूमि में पक्का निर्माण कार्य अपनी फसल व कृषि यंत्रो को खने के लिये कर रखा है लेकिन उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में होने से प्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई और इसी बात का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिपक्षीगण को उनके द्वारा किये गये निर्माण कार्य, ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन एवं उनके हिस्से में आयी भूमि से बेदखल करने की नियत से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण ने अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि के मध्य में मोके पर मेड पड़ी हुयी है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है जिसमे एक दुसरे के हिस्से की भूमि के मध्य मेड पडी हुई है जिससे एक दुसरे की भूमि पर कब्जा करने का प्रश्न ही पेदा नही होता है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण को उनके हिस्से में आयी भूमि से बेदखल करने की नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव मे प्रार्थी, प्रतिपक्षीगण को पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। **विशेष आपत्तियां** :–प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के पिता पोखर अपने जीवनकाल मे अपने चारो पुत्रो के साथ संयुक्त रूप से निवास करता था। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के पिता पोखर पुत्र चन्द्रा के नाम अन्य खातेदारी की भूमि थी। इस कारण पोखर को भूमि आवंटन होना संभव नही था इसलिये पोखर ने अपने जीवनकाल मे अपने बड़े पुत्र कन्हैयालाल के नाम से उक्त भूमि आवंटन करवा कर भूमि को काफी रकम खर्च कर काबिल काश्त बनाया था। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के पिता पोखर का उनके जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली अप्रार्थीगण बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा कब्जा काश्त से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किये है अप्रार्थीगण का कब्जा हो तो दस्तावेज प्रस्तुत करे, प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी का कब्जा काश्त होना बता कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि सहमति से प्रार्थी के नाम उनके पिता ने आवंटन करवायी थी जिस पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। इसका स्पष्टीकरण वाद में साक्ष्य व सबूतो के माध्यम से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति कर दे तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

चूंकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा मौके की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक रखने में कोई आपति नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य किसी माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख. नं. 704 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी में प्रार्थी के फसल बोने, काटने, कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त भूमि के किसी भी हिस्से में किसी भी माध्यम से जबरन कब्जा नहीं करे व प्रार्थी को बेदखल नहीं करे। मौके की यथास्थिति ताफैसलावाद बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 26.09.2024 को सुनाया गया।

26.9.2024

उपखण्ड अधिकारी
देवली